न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022 तारीख रजू 03.03.2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. अरशद पुत्र मजीद जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारना डूंगर
2. साबरा पत्नी मजीद जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारना डूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 10/4/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण अरशद पुत्र मजीद जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारना डूंगर एवं साबरा पत्नी मजीद जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर हाल 710 साबिक 535 रकबा 0.25 बीघा वाके ग्राम पीलवा नदी में आदेश दिनांक 26/05/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर हाल 710 साबिक 535 रकबा 0.25 बीघा पर भू.अभि. निरीक्षक चक बिलोली एवं पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, भूमि पड़त होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण को काफी मौके दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण ना तो स्वयं और ना ही जरिये वकील पेशी पर उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 31/03/2023 के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर हाल 710 साबिक 535 रकबा 0.25 बीघा वाके ग्राम पीलवा नदी पर भू.अभि.निरीक्षक चक बिलोली एवं पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:06:33 IST
Reason: SelfAttested

आदिनांक तक कब्जा नहीं है एवं आदिनांक तक जमाबन्दी में गैरखातेदार अंकित है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गई है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074—76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटितशुदा भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण अरशद पुत्र मजीद जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारना डूंगर एवं साबरा पत्नी मजीद जाति मुसलमान निवासी पीलवा नदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर हाल 710 साबिक 535 रकबा 0.25 बीघा वाके ग्राम पीलवा नदी आवंटित किया गया था। भू.अभि. निरीक्षक चक बिलोली एवं पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074—76 के अनुसार भूमि मौके पर पडत पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर हाल 710 साबिक 535 रकबा 0.25 बीघा वाके ग्राम पीलवा नदी पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा भूमि मौके पर पडत होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीलवा नदी के आराजी खसरा नम्बर हाल 710 साबिक 535 रकबा 0.25 बीघा वाके ग्राम पीलवा नदी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 10/4/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:06:33 IST
Reason: SelfAttested